

विद्युत कनेक्शन हेतु ऑनलाईन आवेदन फार्म

उपभोक्ता का नाम

:-

पिता/पति का नाम

:-

पता

:-

विद्युत प्रयोजन

:-

भार

:-

बी.पी.नम्बर

:-

न्यू कनेक्शन ऑर्डर नं.

:-

**छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित
निम्नदाब विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन सह अनुबंध पत्र**

प्रति,

सहायक/कनिष्ठ अभियंता,
छ.ग.वि.वि.कं.मर्यादित-कंसडोल

पासपोर्ट फोटो

महोदय,

मैं/हम अपने परिसर में बिजली प्रदाय हेतु निवेदन करता/करते है। इसके लिए वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

1. विद्युत आपूर्ति का प्रयोजन (छरेलू /गैर चरेलू /कृषि /कृषि एलाईड / औद्योगिक / सार्वजनिक)
2. आवेदक/संस्थान का नाम ;
3. पिता/पति/हिस्सेदार/ट्रस्टी का नाम:
4. परिसर का पता (जहाँ नये कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा रहा है)
मकान/प्लाट/परिसर क्रमांक.....सड़क/गली/कालोनी.....शहर/गांव.....
विकास खण्ड.....जिला.....मोसा.नं.....
ई-मेल.....आधार कार्ड क्रमांक
5. आवेदक का स्थाई पता, यदि क्रमांक 4 से अलग हो तो
मकान/प्लाट/परिसर क्रमांक.....सड़क/क्षेत्र/कालोनी.....शहर/गांव.....
विकासखण्ड.....जिला.....
6. परिसर/प्लाट का क्षेत्रफल.....वर्गफुट
7. विद्युत आपूर्ति का प्रकार - स्थायी / अस्थायी
अस्थायी कनेक्शन की अवधि.....से.....तक
8. प्रस्तावित कुल संयोजित भार.....किलोवाॅट / /.....एच.पी.
9. समीपस्थ निम्नदाब लाईन से खम्भे से प्रस्तावित विद्युत आपूर्ति के बिन्दू की दूरी.....मीटर ।
10. क्या आवेदक के नाम से अनुज्ञातिधारी क्री कोई बकाया राशि शेष है ? - / नहीं
11. क्या स्थल - जहाँ विद्युत आपूर्ति मांगी जा रही है, पर कोई बकाया राशि शेष है ? हाँ / नहीं
12. शासन द्वारा अधिकृत विद्युत लाईसेंस ठेकेदार का नाम जिसके द्वारा आवेदित परिसर में विद्युत वायरिंग कार्य किया गया है -नाम व पता.....लायसेंस क्रमांक.....
13. उपरोक्त परिसर(जो लागू हो ✓ का निशान लगावें)
अ मेरे स्वामित्व अधिकार में है जिसके दस्तावेजी प्रमाण मेरे पास उपलब्ध है ।
ब मेरे द्वारा किराये पर लिया गया है एवं परिसर स्वामी का अनापत्ति पत्र संलग्न है ।
14. परिसर में विद्युत खपत रिकार्ड करने के लिए (जो लागू हो ✓ का निशान लगावें)
अ निर्धारित शर्तों पर स्वयं का मीटर लगवाना चाहता हूँ ।
ब निर्धारित शर्तों पर विद्युत वितरण कंपनी का मीटर लगवाना चाहता हूँ ।

उपरोक्त आवेदन के आधार पर विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से निम्न बिंदु पर मैं/हम सहमत है :-

- क. उपरोक्त दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं अन्यथा की स्थिति में विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी जिसकी पूर्ण जवाबदारी मेरी रहेगी।
- ख. यह कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित जिसका आगे चलकर वितरण कंपनी के नाम से उल्लेख है, उपभोक्ता को 230/400 वोल्ट पर कंडिका 3 में दर्शाये हुए स्थान पर विद्युत आपूर्ति करेगा। उपभोक्ता इसका उपयोग कंडिका 6 में दर्शाये प्रयोजन के लिये और कंडिका 9 में घोषित भार की सीमा तक ही करेगा।
- ग. यह कि विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था पूरी होने जाने पर वितरण कंपनी उपभोक्ता को विद्युत उपलब्धता की सूचना देगी। सूचना के उपरांत एक माह की अवधि में उपभोक्ता को कनेक्शन लेना होगा अन्यथा अवधि समाप्त होने से अगले दिन से अथवा कनेक्शन लेने की तिथि से अनुबंध प्रभावशील होगा। यह अनुबंध विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अनुसार प्रभावशील रहेगा।
- घ. यह कि उपभोक्ता द्वारा विगत माह में की गई विद्युत के खपत के लिए वितरण कंपनी को प्रत्येक माह ऐसे विद्युत एवं अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा जो कि अनुबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिए समय-समय पर आयोग द्वारा अवधारित किये जायेंगे। इन प्रभारों में परिवर्तनीय ईंधन मूल्य समायोजन प्रभार एवं अन्य विविध प्रभार भी सम्मिलित होंगे।
- ड. यह कि उपभोक्ता विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों व समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रतिभूति और अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा।
- च. यह कि उपभोक्ता परिसर पर किसी भी बकाया राशि/संचित राशि का भुगतान करेगा तथा सहमती देता है कि कंपनी उपभोक्ता से इस तरह की राशि वसूली अथवा बकाया राशि वसूली अथवा बकाया राशि को वितरण उपभोक्ता के नाम पर किसी अन्य मौजूद कनेक्शन चाहे वह किसी अन्य परिसर में हो स्थानान्तरित कर सकने हेतु अधिकृत रहेगा।
- छ. यह कि उपभोक्ता वितरण कंपनी द्वारा चयनित स्थान पर स्थापित विद्युत मीटर की सुरक्षा करेगा एवं उक्त मीटर की सील के साथ छेड़खानी नहीं करेगा।
- ज. यह कि उपभोक्ता अपने परिसर में वितरण कंपनी के अधिकृत/कर्मचारी को मीटर वाचन, निरीक्षण, जांच संधारण एवं परीक्षण आदि हेतु निर्बाध प्रवेश देगा।
- झ. यह कि उपभोक्ता वितरण कंपनी द्वारा प्रदत्त विद्युत का उपयोग स्वयं के अलावा किसी अन्य व्यक्ति/परिसर में विद्युत का विस्तार/किराये पर देने का कार्य नहीं करेगा।
- ञ. यह कि आवेदक द्वारा कनेक्शन के पूर्व परिसर के विद्युत वायरिंग की टेस्ट रिपोर्ट उपरोक्त लाईसेंसि ठेकेदार द्वारा प्राप्त कर विद्युत वितरण कंपनी को प्रस्तुत किया जावेगा।
- ट. यह कि उपभोक्ता विद्युत अधिनियम 2003 के तहत निर्धारित कानून एवं नियम संशोधनों सहित विद्युत प्रदायसंहिता तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपबंध) नियमावली 2010 के प्रावधानों में समय-समय पर किये गये संशोधन के अंतर्गत ही विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति की जावेगी तथा उपभोक्ता उक्त प्रावधानों का पालन करने हेतु बाध्य होगा। अनुबंध का अर्थ एवं व्याख्या भी उन्हीं के यथा संदर्भनुसार की जावेगी।

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने -आवेदक ने हस्ताक्षर किये

1. गवाह (नाम व पता) :-

.....

1. गवाह (नाम व पता) :-

.....

आवेदक के दिनांकित हस्ताक्षर

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने -प्राधिकृत अधिकारी ने हस्ताक्षर किये

1. गवाह (नाम व पता) :-

.....

1. गवाह (नाम व पता) :-

.....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

TEST REPORT

To be filled up by the licensee

The is being issued for providind electrical connection at the premises of Mr/Mrs/Ms. _____
 _____ The address of the premises is _____
 The name and adres of the licensed electrical contractor is _____
 The date of issue of this report is _____

To be filled up by the licensed electrical contractor

5. I hereby declare that -

- (a) I have _____ class license valid till _____
 The license number is _____
- (b) I have completed this work for Mr/Mrs/Ms _____
 For his _____

Details of Job

SN	Item	220/230 Volts						440/400 Volts	
		Red phase		Green phase		Blue phase		No	Total watts
		No	Total watts	No	Total watts	No	Total watts		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

The particulars of the employees who executed the job are tabulated below

SN	Name of the wiremen/trainee	Designation	Period	
			From	To

© The work was carried out under the supervision of _____
 (Supervisor Wireman) whose certificate number is _____
 He is responsible for work carried out during the period _____

(d) The installation specification adhere to all the provisions of indian Electricity Rules 1956.
I also declare/certify the following :

- | | |
|--|--------|
| (a) The installed switches are of correct ratings | Yes/No |
| (b) All the switches and wiring are permanent and of correct specifications. | Yes/No |
| (c) All plugs are of three pin type and controlled by separate awitches | Yes/No |
| (d) All the single pole wsitches connected to the phase | Yes/No |
| (e) Required permanent mark is provided on the main switch board for Neutral point | Yes/No |
| (f) Arrangement for earth is according to Rule 61 of india Electricity Rules 1956 | Yes/No |

7. Test results

Date of Testing _____

	Insulation to earth	Insulation between conductors
Phase 1		
Phase 2		
Phase 3		

Earth Resistance	Date of testing
Electrode No. 1	Electrode No. 2

8. The date of registration according to form 'L' of Chhattisgarh Licensing Bord (Electricity) is as :

S.N. _____

Date _____

Signature of the Licensed Electrical Contractor

Certification from Supervisor Wireman

It is hereby certified that the aforesaid work has been undertaken by _____
_____ who has a wireman permit number of _____
_____ that is valid till _____

It is also certified that testing of the installation has been undertaken by _____
_____ who has a permit number of _____
_____ that is valid till _____

Signature of the Wireman

Signature of Supervisor, Wireman

संबंध भार की गणना

1. उपभोक्ता का नाम -----
2. पता -----
3. उपयोग हेतु प्रस्तावित विद्युत उपकरण : (कृपया निम्नलिखित तालिका को भरें ताकि संबंध भार की गणना की जा सके । सामान्यतः भार की गणना के लिए परिसर के प्रत्येक विद्युत उपकरण का वास्तविक अंकित विद्युत भार ही लिया जाएगा । यदि किसी उपकरण की निर्धारित विद्युत क्षमता अंकित नहीं है तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित तालिका के आधार पर विद्युत भार की गणना की जा सकती है ।)

विद्युत उपकरण का नाम	विद्युत भार (वाट्स में)	संख्या	कुल भार (वाट्स में)
1	2	3	4=2×3
बल्ब	60		
ट्यूब लाईट	50		
पंखा	60		
टेप रिकार्ड/म्यूजिक सिस्टम	100		
टेलीविजन	90		
मिक्सी	375		
इलेक्ट्रिक आयरन	750		
फ्रिज	150		
यूलर	250		
हीटर (खाना पकाने एवं पानी गर्म करने हेतु)	1000		
वाशिंग मशीन (कपड़ा धोने की मशीन)	750		
गीजर	2000/3000		
माइक्रो वेव ओवन	2000		
एयर कंडीशन (एक टन)	1500		
एयर कंडीशन (डेड टन)	2250		
कम्प्यूटर	100		
प्रिन्टर	150		
पम्प सेट (प्रति हासपावर)	750		
अन्य-			
1.			
2.			
3.			
4.			
योग -			

4. संबंध भार की गणना के लिए :-
 - (अ) अतिरिक्त प्लग पाइंट/होल्डर को संबंध भार में नहीं जोड़ा जाएगा ।
 - (ब) जिन घरेलू परिसरों में गीजर, रूम हीटर और एयर कंडीशनर (बिना हीटर) स्थापित हैं, उनसे तथा रूम हीटर दोनों ही विद्युत उपकरण स्थापित होने पर दोनों के कुल विद्युत भार को जोड़कर इसकी तुलना एयर कंडीशनर के विद्युत भार से की जावेगी एवं तुलनात्मक रूप से जो भी अधिक होगा, उसे संबंध भार की गणना में जोड़ा जावेगा ।

उपभोक्ता के हस्ताक्षर
दिनांक

प्रति,

कनिष्ठ यंत्री

छ.रा.वि.वि.कम्पनी मर्या.

विषय : अस्थाई कनेक्शन हेतु सहमति ।

महोदय,

निवेदन है कि मैं

पिता /पति श्री

ग्राम

वितरण केन्द्र -

गुरुकुल, जिला -

अलाहाबाद (छ.ग.)

का निवासी हूँ । मैं अपने खेत जो

कि विद्यमान छ.रा.विद्युत वितरण कम्पनी मर्या.की निम्न दाब लाईन से

मीटर की दूरी परअश्वशक्ति का अस्थाई कनेक्शन हेतु

निम्नलिखित शर्तों पर लेने को सहमत हूँ :-

1. प्रत्येक 100 फीट की दूरी पर एक लकड़ी का खम्भा लगाऊंगा ।
2. सर्विस तार हेतु उपर्युक्त साईज का पी.व्ही.सी तार का उपयोग करूंगा ।
3. खम्भे पर उपर्युक्त क्षमता का सर्किट लगाऊंगा ।
4. अस्थाई पम्प कनेक्शन/ट्यूबवेल कनेक्शन में लिये गये केबल/तार से कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा ।
5. यदि मुझे कम वोल्टेज मिलता है तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार रहूंगा ।
6. यदि मेरे कारण किसी दूसरे उपभोक्ता को कम वोल्टेज मिलने की शिकायत होता है तो मेरी विद्युत प्रदाय बंद की जा सकती है ।

उपरोक्त लिखित शर्तों में यदि कोई भी शर्त मेरे द्वारा पूरी नहीं किया जाता है, तो छ.रा.वि.वि.कम्पनी मर्या. को किसी भी अधिकारी /कर्मचारी को पूरा अधिकार रहेगा कि मेरा विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दें ।

दिनांक

भवदीय

नाम

पता

.....

.....

प्रमाण - पत्र

मेरे द्वारा श्री ----- पिता -----
मान ----- के खसरा क्र. ----- प. ह. नं. -----
तहसील ----- के ----- अश्वशक्ति नलकूप कनेक्शन के लिए स्थल निरीक्षण
/ लाईन सर्वे का कार्य दिनांक ----- को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान उनके खेत में
नलकूप खनन किया गया है जो सही पाया गया है। उपभोक्ता द्वारा उनके नलकूप हेतु अस्थाई कनेक्शन लिया
गया था। मेरे द्वारा लाईन विस्तार हेतु की गई सर्वे सही है।

प्रति हस्ताक्षर
कनिष्ठ इंजीनी
छ.श.वि.सं. चौदन

लाईन स्टाफ के हस्ताक्षर
नाम -----
पदनाम -----
दिनांक -----

* अनापत्ति प्रमाण - पत्र *

प्रमाणित किया जाता है कि श्री -----

पिता श्री -----

जाति -----

ग्राम -----

विकास खण्ड -----

तहसील -----

जिला - बलौदाबाजार भाटापारा (छत्तीसगढ़) का निवासी

है। अपने स्वयं के मकान में एकलवृत्ती/विद्युत मीटर कनेक्शन लगवाना चाहता है, यह मकान नजुल या शासकीय जमीन पर नहीं बना है। स्वयं का मकान श्री -----

ग्राम पंचायत को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

दिनांक

प्रशासक/सरपंच

ग्राम पंचायत -----

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती _____

पिता/पति _____

ग्राम _____

का नाम से अथवा मेरे पिता/पति/भाई (परिवार के किसी भी सदस्य) के नाम पर किसी भी प्रकार का बकाया (बकाया/ओ.एण्ड.एम./विजिलेस जांच) राशि शेष नहीं है। बकाया राशि होने के स्थिति में होने वाले कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

उपभोक्ता का हस्ताक्षर

नाम -

पिता -

ग्राम -